माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर, संभाग इन्दौर

शांतीलाल उर्फ शांतिया पिता मोती निनामा

निवासी ग्राम आम्बापाडा

तह. पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. .... रिविजनकर्ता

विरूद्ध

शिवलाल पिता मोहन निनामा

निवासी ग्राम आम्बापाडा

तह. पेटलावद जिला झाबुआ .... विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

रिविजनकर्ता शांतिलाल उर्फ शांतिया की ओर से रिविजन प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

सदर की रिविजन न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण क्रमांक 06/अपील/2012-13 मे दिनांक 30/01/2013 को पारित प्रोसेडिंग आदेश से असंतुष्ट होकर माननीय महोदय के समक्ष रिविजन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 744–पीबीआर/13 जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–6–2014	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–1–2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण आदेशार्थ रखा गया है, कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी की उक्त आदेशिका म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 56 के अंतर्गत आदेश की परिधि में नहीं आती है। अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निरस्त की जाती है। (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	